

परिशिष्ट 'त'

(सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 15, 16, 16 ए 16 बी देखिए)
 (अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम आहरण के उपयोग हेतु)
 भविष्य निधि लेखे से अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम के आहरण हेतु
 आवेदन-सह-स्वीकृति प्रारूप
 (अभिदाता द्वारा भरा जाने वाला आवेदन)

1. अभिदाता का नाम
2. सामान्य भविष्य निधि का पूर्ण खाता क्रमांक
3. (क) अभिदाता का नाम
- (ख) अभिदाता की श्रेणी
4. अभिदाता के खाते में बकाया शेष
- (क) विगत वर्ष में
- (ख) विगत दो वर्ष पूर्व का
5. अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम आहरण की अपेक्षित राशि
6. अस्थायी अग्रिम का बकाया का विवरण

अनुक्रमांक	आहरण का माह	राशि जो आहरित की गई रुपयों में	पुनर्भुगतान योग्य शेष राशि रुपये में
1	2	3	4

7. आंशिक अंतिम आहरण हेतु -

जिस वर्ष अग्रिम हेतु आवेदन किया जाता है, उस वर्ष के पूर्व वर्ष में अग्रिम एवं आंशिक अंतिम आहरण का पूर्व विवरण

दिनांक..... 2010

अभिदाता के हस्ताक्षर

सहस्र अधिकारी द्वारा स्वीकृति

1. स्वीकृत राशि रु.
(शब्दों में)
2. आहरण/स्वीकृतिका प्रकार (अस्थायी अग्रिम या आंशिक अंतिम आहरण)
3. नियम जिसके अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. यदि स्वीकृति विशेष कारणों से है तो उनका विवरण संक्षिप्त में दें।
5. लेखा शीर्ष जिसमें राशि डेबिट की जावेगी
6. शर्तें :- (जो लागू न हों उन्हें काट दें)
 - (क) राशि जो महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत की जाने के पश्चात आहरण की जाना है।
 - (ख) नियम 16-बी (2) के अधीन आहरित राशि उसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग की जावेगी जिस हेतु आहरित की गई है तथा 3 माह में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
 - (ग) वास्तविक उपयोगिता के अतिरिक्त कोई राशि तत्काल कोषालय में ब्याज सहित वापस की जावेगी।
7. प्रमाणित किया जाता है कि स्वीकृति हेतु आवश्यक समस्त शर्तों की पूर्ति कर ली गई है।

(..... द्वारा स्वीकृत)
दिनांक/2010

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर/पदनाम

पृ. क्र. /रा.यो.आ./लेखा,

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. महालेखापाल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. विभागाध्यक्ष, लेखापाल, राज्य योजना आयोग, म.प्र.।
3. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन कोषालय, भोपाल।
4. आवेदक श्री/श्रीमती राज्य योजना आयोग, भोपाल।
5. वैयक्तिक नस्ती - प्रशासन शाखा, राज्य योजना आयोग, भोपाल।

